

विस्तृत आख्या

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड में चिन्यालीसौड-जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 2.50 किमी0, लम्बाई निर्माण हेतु 1.5225 हे0 आरक्षित/सिविल वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वांछित भूमि का विवरण (Description of the Land Required) :- प्रस्तावित मार्ग की स्वीकृति राज्य योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-549 / 11(2) 14-49 (प्रा030) / 2013 दिनांक-29/01/2014 द्वारा 2.50 किमी. लम्बाई हेतु रु. 20.51 लाख प्राप्त हुई है।

उपरोक्त 2.50 किमी. लम्बाई में वांछित प्रभावित भूमि का विवरण निम्नवत् ह -

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. नाप भूमि | := 0.6125 हे0 |
| 2. आरक्षित वन भूमि | := 0.6825 हे0 |
| 3. सिविल भूमि | := 0.4550 हे0 |
| 4. मलवा निस्तारण | := 0.385 हे0 |

कुल भूमि जो कि मोटर मार्ग निर्माण हेतु आवश्यक है :- $(0.6825+0.455+0.385 = 1.5225 \text{ हे}0)$

विदित हो कि ग्राम गोरुण की बसावट को संयोजित करने हेतु मार्ग की पूर्ण लम्बाई प्रस्तावित की जा रही है तथा लक्षित ग्राम को संयोजित करने हेतु अतिरिक्त लम्बाई की आवश्यकता नहीं है।

प्रभावित पेड़ों का विवरण :- मोटर मार्ग में कुल 75 वृक्ष चीड़ एंव सिलवर ओक प्रजाती के प्रभावित हो रहे है, जिसमें चीड़ 71 वृक्षों में से 0-10 व्यास के 12 वृक्ष 10-20 व्यास के 22 वृक्ष, 20-30 व्यास के 23 वृक्ष, 30-40 व्यास के 07 वृक्ष, 40-50 व्यास के 0 वृक्ष, 50-60 व्यास के 02 वृक्ष, 60-70 व्यास के 04 वृक्ष, 70-80 व्यास के 0 वृक्ष, 80-90 व्यास के 01 वृक्ष व 90 से अधिक व्यास के 0 वृक्ष आ रहे है एंव 04 सिलवर ओक वृक्षों में से 0-10 व्यास के 04 वृक्ष आ रहे है।

मोटर मार्ग का संक्षिप्त विवरण :- प्रस्तावित मोटर मार्ग से ग्राम गोरुण (आबादी ग्राम पंचायत 370) ग्राम लाभान्वित हो रहा है। यह मार्ग विकास खण्ड चिन्यालीसौड जिला उत्तरकाशी (उत्तराखण्ड) में स्थित है। इस मार्ग में नाप भूमि, सिविल भूमि एंव आरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है, जिस हेतु वन भूमि प्रस्ताव गठित किया गया है।

मोटर मार्ग को वन भूमि में अवस्थित करने का औचित्य :- वर्तमान में ग्राम गोरुण के ग्रामवासियों को अपनी दैनिक आवश्यकताओं एंव अपने कृषि उत्पादों को रोड़ हैड तक पहुचाने हेतु लगभग 2.00 किमी. की पैदल दूरी तय करनी पड़ती है। मोटर मार्ग के अभाव में क्षेत्रवासियों उचित चिकित्सा सेवायें नहीं मिल पा रही है, जिस कारण गर्भवती महिलाओं एंव अन्य रोगियों के जीवन का जोखिम बना रहता है। मोटर मार्ग से असंयोजकता के कारण क्षेत्रीय जनता अनेकाएक लोगों से वंचित है तथा पिछड़ेपन का शिकार है। ग्रामवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि एंव पशुपालन है। ग्रामवासी अपने नगदी फसलों यथा संतरे, अदरख, आलू, नींबू इत्यादि को रोड़ हैड तक

" "

पैदल अथवा खच्चरों से लाया जाता है तथा उनके उत्पादों का उन्हें सही लाभ नहीं मिल पाता। मोटर मार्ग से संयोजकता हो जाने के उपरान्त ग्रामवासियों का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में प्रगति होने व साथ-साथ गांव से नव युवकों का पलायन रुकेगा। मार्ग निर्माण में प्रभावित 1.5225 हेंड वन भूमि, जो कि सर्वेक्षण पश्चात चिन्हित की गयी है, न्यनतम है तथा समरेखण को इस प्रकार प्रस्तावित किया गया है कि वृक्षों का न्यूनतम पातन हो। इस प्रस्तावित समरेखण के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक समरेखण नहीं है, जिसमें इससे कम वृक्षों का पातन हो। वन भूमि 7.00 मीटर चौड़ाई में लिया जाना प्रस्तावित किया जा रहा है, जिस पर निर्माण किया जायेगा।

प्रस्तावित मोटर मार्ग चिन्यालीसोड-जोगथ मोटर मार्ग के किमी 0 24 से प्रराम्भ होकर के ग्राम गोरुण तक जायेगी जिसकी कुल लम्बाई 2.50 किमी 0 है।

भूगर्भवेता की निरीक्षण आख्या से भी स्पष्ट होता है कि इस प्रस्तावित समरेखण में मार्ग निर्माण भूगर्भ की दृष्टि से सुरक्षित है। समरेखण में कोई भी कब्रिस्तान, अत्येष्टि स्थल, धार्मिक / ऐतिहासिक / पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल / स्थान प्रभावित नहीं हो रहा है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगोचर रखते हुये जनहित में 1.5225 हेंड वन भूमि को मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रदत्त करने की कृपा करें।

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
उत्तरकाशी

वन नीतिकारी
धरासू वन राजि
उत्तरकाशी वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी